21वां वार्षिक प्रतिवेदन

2020-21

cgtmse

संस्था, जिस पर है भारत का विश्वास

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार एवं सिडबी द्वारा स्थापित)

विषय–सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1	प्रेषण पत्र	2
2	अध्यक्ष का वक्तव्य	3
3	न्यासी मंडल	4
4	मुख्य विशेषताएं	5
5	वित्तीय वर्ष 2021 के कार्यनिष्पादन की झलकियाँ	7
6	लेखाकार रिपोर्ट	18
7	तुलनपत्र एवं खाता विवरण	19

प्रेषण पत्र

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट
स्वावलंबन भवन सिडबी, 7 वां तल
सी–11, जी ब्लाक, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स
बांद्रा (पूर्व), मुंबई–400051

31 अगस्त, 2021

सेवा में

अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई)
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
कार्यालय विकास आयुक्त (एमएसएमई)
निर्माण भवन 7वां तल "पीटी" विंग
मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली –110108

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
प्रधान कार्यालय, सिडबी टॉवर, 15,
अशोक मार्ग, लखनऊ – 226001

प्रिय महोदय,

भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, अवस्थापकों द्वारा निष्पादित ट्रस्ट की घोषणा के खंड 14.2 के निबन्धनानुसार, मैं निम्नलिखित दस्तावेज एतदद्वारा अग्रेषित कर रहा हूँ।

(i) 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित ट्रस्ट के लेखा परीक्षित लेखा एवं लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रति और

(ii) 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट के कार्यकलापों पर रिपोर्ट की एक प्रति।

भवदीय

हस्ता/–

(संदीप वर्मा)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : मुंबई

अध्यक्ष का वक्तव्य

सीजीटीएमएसई, एक ऐसा ट्रस्ट है जिस पर भारत विश्वास करता है और जो हमेशा एमएसई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहा है तथा हम संकट की अवधि के दौरान एमएसई तक पहुँचकर और उनका समर्थन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अद्वितीय वैश्विक आर्थिक संकटों के मद्देनजर जीवित रहने का आशय सपनों को एक बार फिर से देखना था। ठीक होने का रास्ता न केवल साहस और ताकत पर टिका है, बल्कि वापस उठने के लचीलेपन की क्षमता पर भी अवलंबित है। कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण आर्थिक मंदी ने देश की पूरी अर्थव्यवस्था को दबाव में डाल दिया है। हालाँकि, एमएसई क्षेत्र ने हाल की महामारी का सामना करने में काफी लचीलापन दिखाया है। अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए, भारत सरकार ने एमएसएमई इकाइयों को समर्थन देने के लिए विभिन्न आर्थिक और वित्तीय राहत उपायों की घोषणा की है।

इन कठिन समय के दौरान, सीजीटीएमएसई का एक प्रमुख योगदान दो नई योजनाओं, "अधीनस्थ ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएसडी)" और "पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)" की सुविधा देकर एमएसएमई में विश्वास पैदा कर इसे स्थापित करने में सक्षम करने का रहा है। ये दोनों योजनाएं उन एमएसएमई को समर्पित हैं जो कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित रही हैं। सीजीएसएसडी योजना दबावग्रस्त एमएसएमई को उनके व्यवसायों में इक्विटी/अर्ध इक्विटी के माध्यम से सहायता प्रदान कर उसे पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है, जबकि पीएम स्वनिधि से ₹ 10,000/– तक के कार्यशील पूंजी ऋण की गारंटी की सुविधा देकर स्ट्रीट वेंडर्स का समर्थन किया जाता है। चुनौतीपूर्ण अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, सीजीटीएमएसई ने वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान परिचालन विकास के संदर्भ में अच्छा प्रदर्शन किया है और योजनाओं के तहत ₹ 2.60 लाख करोड़ की कुल ऋण राशि के लिए मंजूर संचयी गारंटियां 65 लाख रहीं।

आने वाले वर्षों में, सीजीटीएमएसई एमएसई क्षेत्र को बैंक के उधार में अत्यधिक समर्थन प्रदान करके और एमएसई को संपार्श्विक–मुक्त ऋण देने के अपने कार्यों में विश्वास निर्माण उपायों को शामिल करते हुए सबसे पसंदीदा और लाभदायक विकल्प प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास करना जारी रखेगा।

मैं एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बैंक संघ और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने एमएसई क्षेत्र के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के सीजीटीएमएसई के प्रयास में अपना मूल्यवान, समय और निरंतर समर्थन दिया है। मैं एमएलआई के साथ–साथ सीजीटीएमएसई के सभी सहयोगी संस्थानों द्वारा सीजीटीएमएसई के संचालन को बढ़ाने के लिए उनके समर्पित प्रयासों और समर्थन के लिए दिए गए सहयोग के लिए भी अपना आभार प्रकट करता हूँ।

सादर,

(सिवसुब्रमणियन रमण, आईए एण्ड एएस)
अध्यक्ष, सीजीटीएमएसई

सीजीटीएमएसई का न्यासी मंडल

(06 अगस्त, 2021 को स्थिति)

श्री सिवसुब्रमणियन रमण, आईए एंड एएस, अध्यक्ष (पदेन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
प्रधान कार्यालय: ''सिडबी टॉवर''
15, अशोक मार्ग, लखनऊ–226 001

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, आई.ए.एस, उपाध्यक्ष (पदेन)
अपर सचिव और विकास आयुक्त (एमएसएमई)
एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ''ए'' विंग, 7वीं मंजिल,
निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली–110 108

श्री राजकिरण राय जी, सदस्य (पदेन),
अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ (आईबीए)
प्रबंध निदेशक और सीईओ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
स्टेट बैंक भवन, मैडमकामा रोड,
नरीमन पॉइंट, मुंबई–400 021

श्री संदीप वर्मा, सदस्य सचिव
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट
7वीं मंजिल, स्वावलंबन भवन, सिडबी,
सी–11, जी–ब्लॉक, बीकेसी, बांद्रा (ई), मुंबई–400 051

अवलोकन

मुख्य विशेषताएं

सूक्ष्म और लघु उद्यम

एमएसई के लिए 200 लाख रुपये तक की क्रेडिट सुविधा को कवर किया जा सकता है

75% – 85% कवरेज

गारंटी कवरेज की सीमा 75% से 85% तक होती है। खुदरा व्यापार के लिए 50% कवरेज

पात्र गतिविधि

विनिर्माण, सेवाएं और खुदरा व्यापार गतिविधियां पात्र हैं

100 एमएलआई से अधिक

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, आरआरबी, चुनिंदा वित्तीय संस्थान, विदेशी बैंक, एसएफबी और एनबीएफसी शामिल हैं

ब्याज दर

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार ली जाने वाली ब्याज दर योजना के तहत कवरेज के लिए पात्र है

UDAAN

cgtmse

परिचालन की झलकियाँ

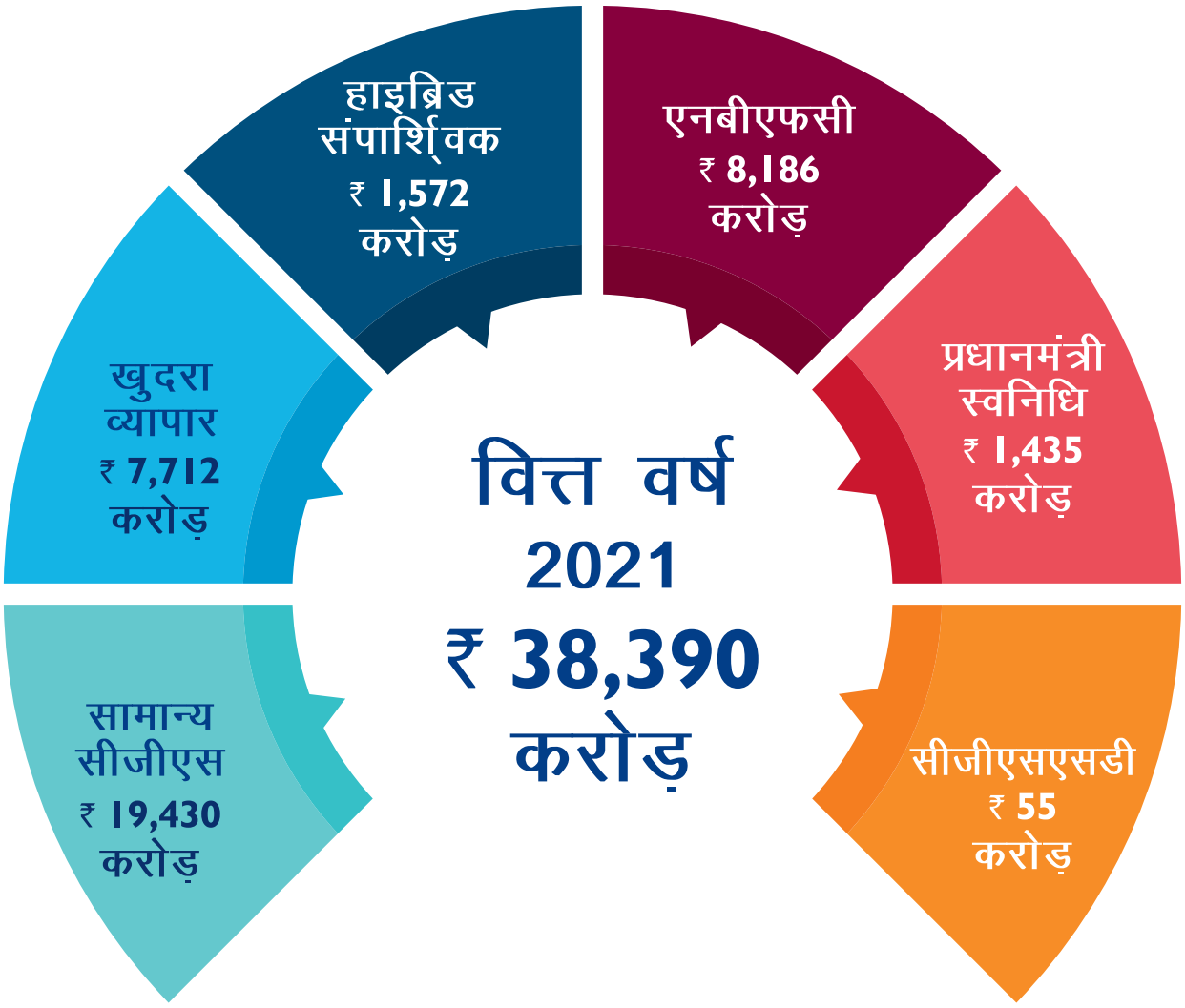

वित्त वर्ष 2021 के कार्यनिष्पादन की झलकियाँ

1. सीजीटीएमएसई की समग्र निधि

1.1 ट्रस्ट के ₹ 2500 करोड़ के शुरुआती समग्र निधि में एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा 4:1 के अनुपात में योगदान किया गया था। ट्रस्ट के प्रतिबद्ध कॉर्पस को भारत सरकार (₹ 7,000 करोड़) और सिडबी (₹ 500 करोड़) द्वारा योगदान प्रदान करके ₹ 7,500 करोड़ तक बढ़ाया गया है। ट्रस्ट ने भारत सरकार (जीओआई) से संपूर्ण संवर्धित कॉर्पस कोष प्राप्त कर लिया है, जिससे कुल कोष राशि ₹ 7,500 करोड़ हो गई है।

1.2 वित्त वर्ष 2021 के दौरान, ट्रस्ट को एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (सीजीएसएसडी) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के लिए ₹157.41 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई और पीएम स्वनिधि के संचालन के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से ₹62.50 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई। यह दोनों योजनाएं सीजीटीएमएसई द्वारा संचालित की जा रही है।

1.3 वर्ष–वार कॉर्पस अंशदान का विवरण नीचे दिया गया है:

सीजीटीएमएसई : वर्ष–वार कॉर्पस अंशदान का विवरण

(₹ करोड़)

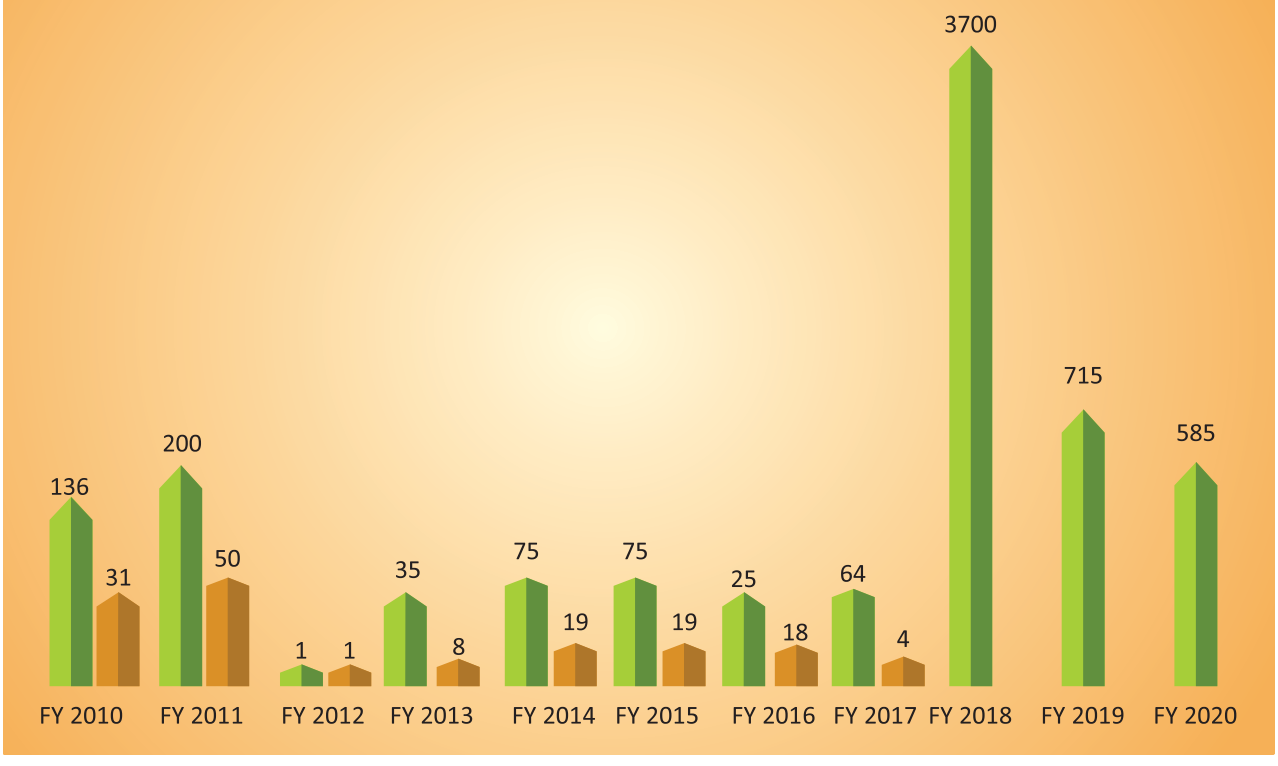

2. सदस्य ऋण देने वाली संस्थाएं (एमएलआई)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान सीजीटीएमएसई ने सहकारी बैंकों को सदस्य ऋणदाता संस्थान (एमएलआई) के रूप में शामिल किया। वित्तीय वर्ष 2012–13 से शुरू होने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की संख्या के समामेलन के परिणामस्वरूप और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के आधार पर, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, सीजीएस–1 के लिए ट्रस्ट के एमएलआई की संख्या 107 है, जहां ट्रस्ट से गारंटी कवर प्राप्त करने के लिए 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 22 निजी क्षेत्र के बैंक, 38 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 6 विदेशी बैंक, 9 अन्य वित्तीय संस्थान, 6 लघु वित्त बैंक और 14 सहकारी बैंक पंजीकृत एमएलआई हैं। 39 गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सीजीएस–II के तहत एमएलआई के रूप में पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा, 36 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अधीनस्थ ऋण (सीजीएसएसडी) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत सीजीटीएमएसई के एमएलआई के रूप में पंजीकृत किया गया है और 122 ऋण संस्थानों (एलआई) को पीएम स्वनिधि के तहत सीजीटीएमएसई के साथ पंजीकृत किया गया है। वित्त वर्ष 2021 के अंत तक सभी योजनाओं के लिए सीजीटीएमएसई के एमएलआई की कुल संख्या 304 थी।

3. सभी गारंटी योजनाओं के तहत संचालन

3.1 31 मार्च, 2021 के अंत तक और बैंकों के विलय के उपरांत, कुल 143 सक्रिय एमएलआई थे जो गारंटी कवर का लाभ उठा रहे थे। सीजीटीएमएसई द्वारा चार ऋण गारंटी योजनाएं (सीजीएस) अर्थात, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए सीजीएस–I, एनबीएफसी के लिए सीजीएस–II, अधीनस्थ ऋण क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएसडी) और पीएम स्वनिधि संचालित की जा रही हैं।

3.2 वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, सीजीएस–I के अंतर्गत पिछले वर्ष ₹ 28,503 करोड़ की 4,59,808 गारंटियों की मंजूरी तुलना में ₹ 28,714 करोड़ की कुल 5,82,543 गारंटियां मंजूर की गईं। संचयी रूप से, 31 मार्च, 2021 तक कुल 44,39,055 खातों में ₹ 2,27,213 करोड़ की गारंटियां मंजूर की गई हैं।

3.3 वित्त वर्ष 2021 के दौरान, सीजीटीएमएसई ने 10 नए एनबीएफसी का पंजीकरण किया है। वित्त वर्ष 2021 के दौरान सीजीएस–II के अंतर्गत गारंटीकृत आवेदनों की कुल संख्या ₹ 8,186 करोड़ की राशि हेतु 2,53,049 थी। संचयी रूप से, 31 मार्च, 2021 तक, कुल 7,03,619 खातों में सीजीएस–II के अंतर्गत ₹ 31,499 करोड़ की गारंटी की मंजूरी प्रदान की गईं।

3.4 वर्ष 2021 के दौरान सीजीटीएमएसई ने दो नई योजनाओं अर्थात अधीनस्थ ऋण क्रेडिट गारंटी

योजना (सीजीएसएसडी) और पीएम स्वनिधि क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस–पीएमएस) को सफलतापूर्वक सरल बनाया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान सीजीएसएसडी के अंतर्गत 473 आवेदनों के लिए ₹ 55 करोड की गारंटी की मंजूरी दी गई है और 14,47,266 आवेदनों को ₹ 1435 करोड़ हेतु पीएमस्वनिधि के अंतर्गत मंजूरी दी गई है।

3.5 अतः वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, सभी योजनाओं के लिए, ₹ 38,390 करोड़ की राशि के लिए कुल 22,83,331 गारंटियां प्रदान की गईं। संचयी रूप से, 31 मार्च, 2021 तक सीजीटीएमएसई द्वारा कुल 65,90,413 खातों में सभी गारंटी योजनाओं के अंतर्गत ₹ 2,60,202 करोड़ की गारंटियां प्रदान की गईं।

अनुमोदित गारंटी राशियां – वित्त वर्ष वार (₹ करोड़)

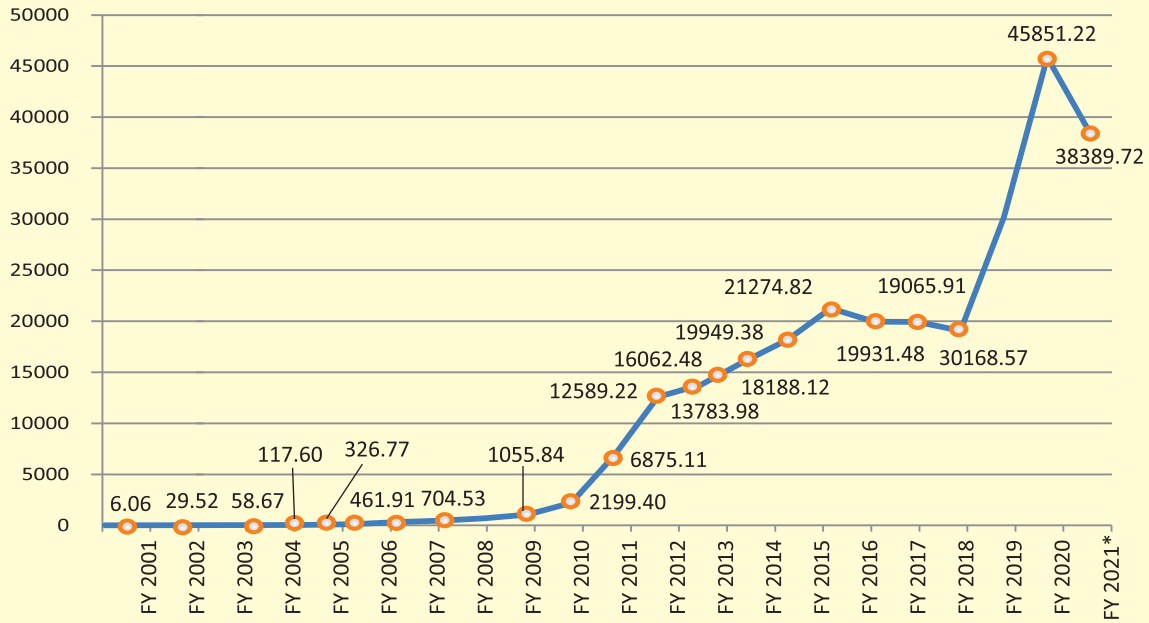

**वित्त वर्ष 2020–21 हेतु आकड़ें सभी चार योजनाओं के लिए है।

वित्त वर्ष 2021 में सीजीएस–I और II के लिए गारंटी कवरेज – एमएलआई की श्रेणी के अनुसार (₹ करोड़)

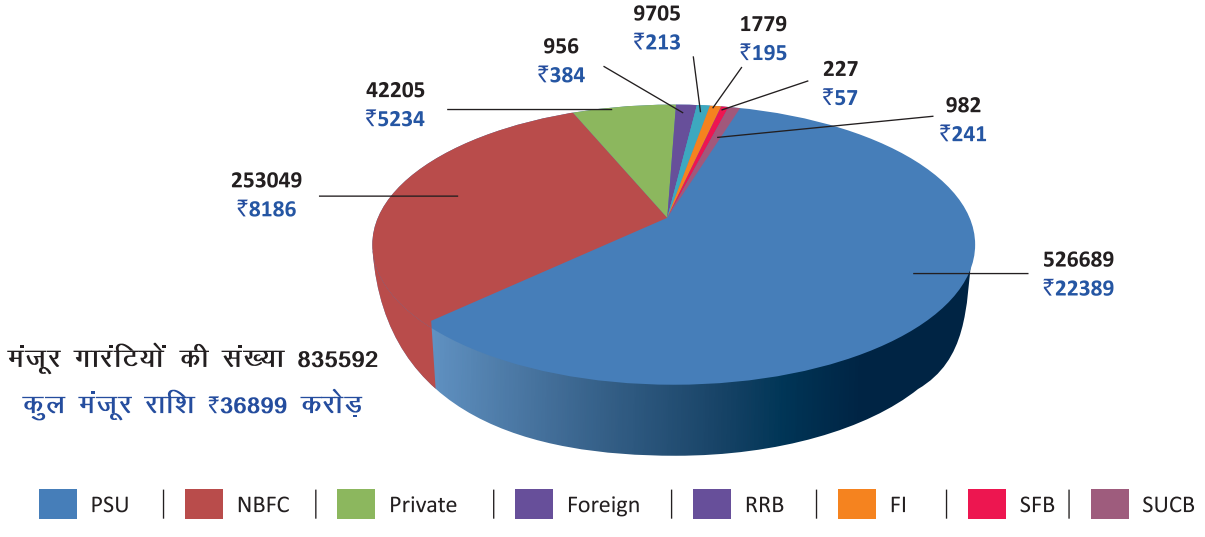

वित्त वर्ष 2021 में सीजीएस–I और II के लिए राज्यवार कवरेज :

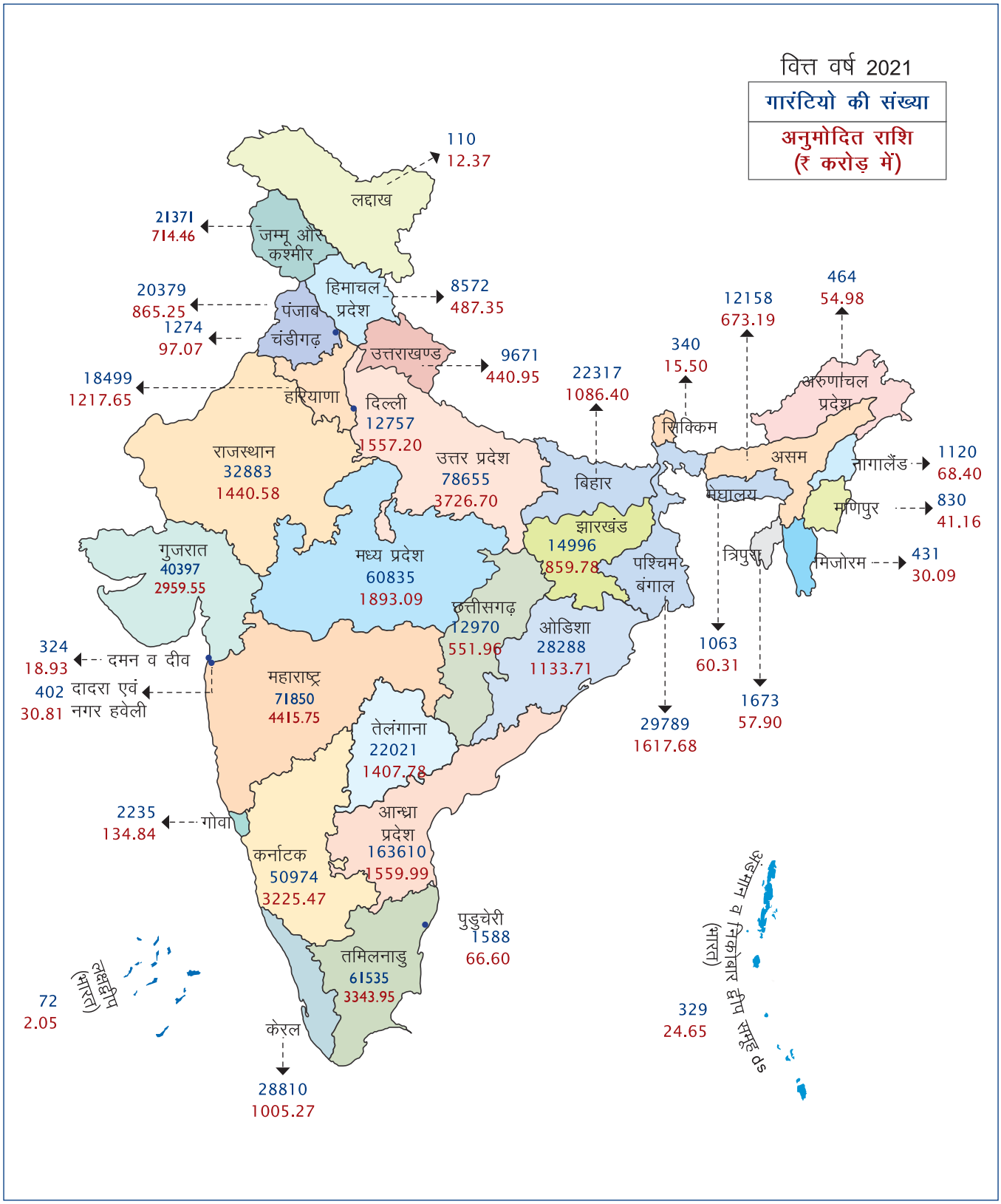

नक्शा पैमाने पर नहीं। केवल उदाहरण के लिए।

4. सीजीएस I और II के लिए स्लैब–वार कवरेज

वित्त वर्ष 2021 में स्वीकृत ₹ 36,899 करोड़ के 8,35,592 प्रस्तावों में से ₹ 17,428 करोड़ (47%) की राशि के प्रस्तावों में ₹ 10 लाख तक की क्रेडिट सुविधाओं से संबंधित, ₹ 6585 करोड़ (18%) की राशि के प्रस्तावों में ₹ 10 – 25 लाख की सीमा में क्रेडिट सुविधाएं शामिल हैं, ₹ 5057 करोड़ (14%) की राशि के प्रस्ताव ₹ 25 – 50 लाख की सीमा में हैं, ₹ 4,409 करोड़ (12%) की राशि के प्रस्ताव ₹ 50–100 लाख की सीमा में हैं और ₹ 3420 करोड़ (9%) की राशि के प्रस्ताव ₹ 100 लाख – 200 लाख की सीमा में हैं।

सीजीएस I और II के लिए स्लैबवार अनुमोदित गारंटियाँ (₹ करोड़)

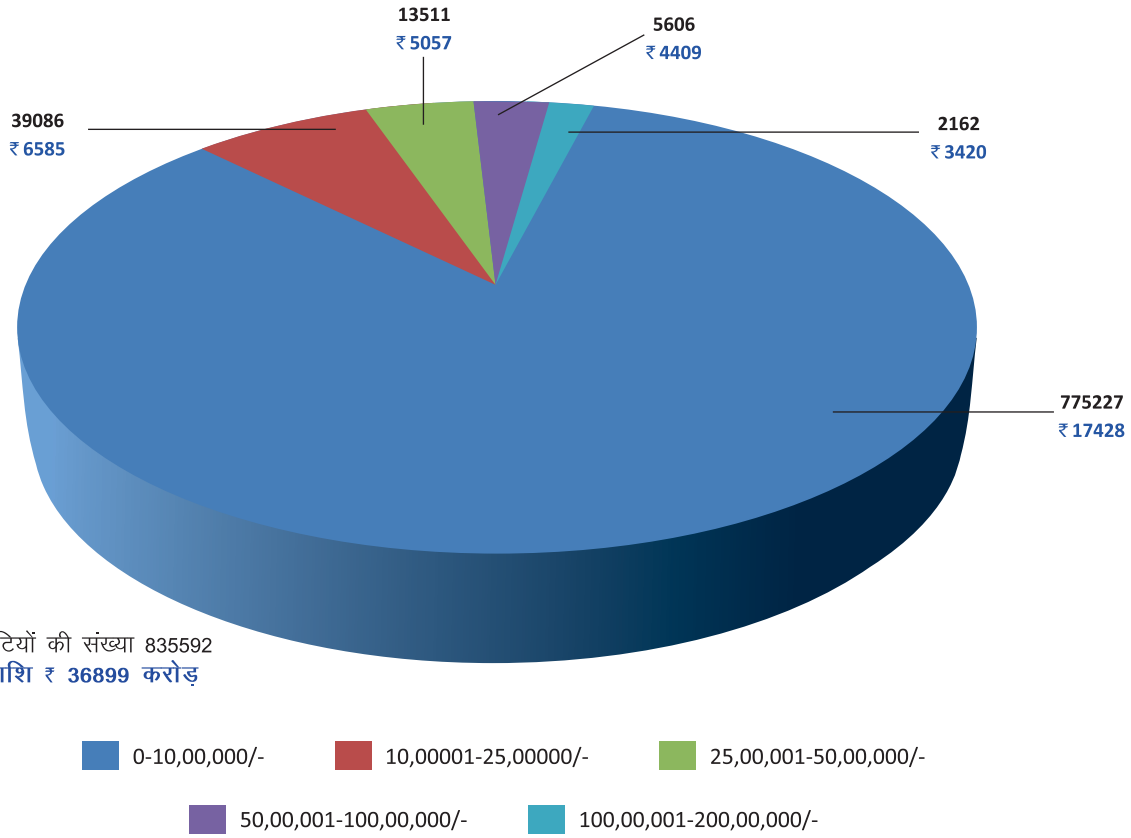

5. कवर किए गए ऋणों का औसत आकार

वित्त वर्ष 2021 के दौरान योजना के तहत कवर किए गए ऋणों का कुल औसत आकार ₹4.42 लाख था।

6. दावा निपटान और समापन

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, के 31,497 दावों के लिए ₹ 716.41 करोड़ की राशि के दावों का निपटारा किया गया। वर्ष के दौरान 28,163 इकाइयों के दावों के लिए सीजीएस I के तहत दावे की पहली किस्त के लिए ₹ 610.93 करोड़ और सीजीएस II के तहत ₹ 82.26 करोड़ की राशि के लिए 2,227 इकाइयों के दावों का निपटारा किया गया है। इसके अलावा वर्ष के दौरान 1107 दावों के संबंध में ₹ 23.23 करोड़ की राशि का दूसरे/अंतिम किश्त के रूप में निपटान किया गया। 31 मार्च, 2021 तक, संचयी रूप से सीजीटीएमएसई ने अब तक ₹ 7,085.66 करोड़ के 2,91,358 दावों का निपटारा किया है। 31 मार्च, 2021 तक, संचयी रूप से, ₹ 634 करोड़ के लिए 9053 इकाइयों के संबंध में गारंटी दावों को खारिज किया गया है क्योंकि वे सीजीटीएमएसई दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थे और एमएलआई द्वारा 1567 इकाइयों के संबंध में ₹ 80.16 करोड़ के लिए गारंटी दावों को वापस ले लिया गया है।

7. दावा निपटान के बाद की वसूलियाँ

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, ट्रस्ट को वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्त ₹ 198.99 करोड़ की तुलना में पहले दावे के निपटान के बाद एमएलआई से वसूली के रूप में ₹ 143.77 करोड़ प्राप्त हुआ। वसूली की प्राप्ति मुख्य रूप से पोस्ट क्लेम सेटलमेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के कारण हुई है।

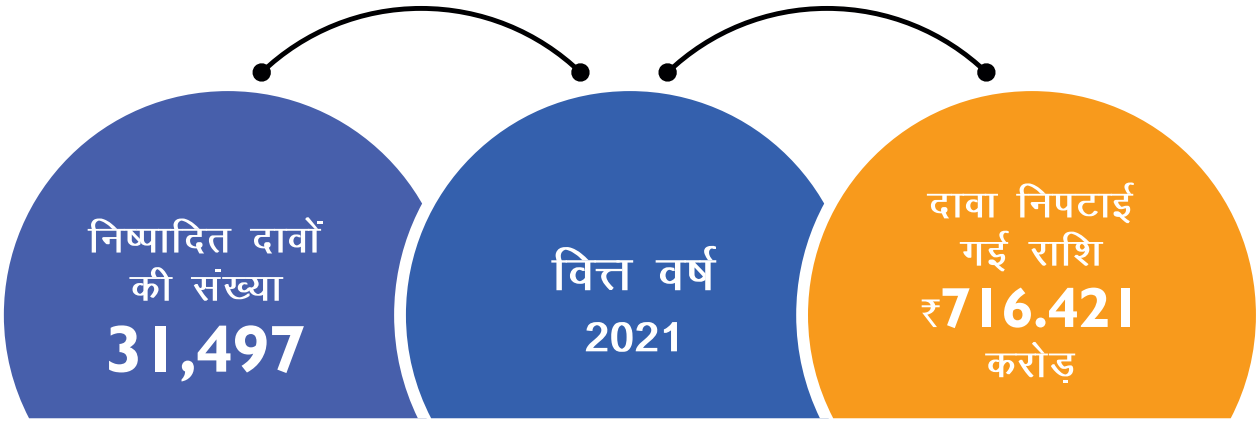

8. वित्त वर्ष 2021 के दौरान महत्वपूर्ण घटनाक्रमः

8.1 अधीनस्थ ऋण क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएसडी): एमएसएमई के आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के बाद, एमएसएमई मंत्रालय ने दबावग्रस्त एमएसएमई को अपने व्यवसाय को पुनर्जीवित करने में मदद करने के उद्देश्य से 'आपदाग्रस्त आस्तियों के लिए कोष – दबावग्रस्त एमएसएमई के लिए अधीनस्थ ऋण' की शुरुआत की है जो कि कोविड–19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था में मंदी की वजह से प्रभावित हुए थे। उपर्युक्त योजना के तहत दबावग्रस्त/एनपीए एमएसएमई को पात्र एमएलआई द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधाओं हेतु क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए, सीजीटीएमएसई द्वारा 'अधीनस्थ ऋण क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएसडी) शुरू की गई है। इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सीजीटीएमएसई ने बैंकों के लिए सीजीएसएसडी को सफलतापूर्वक लागू किया है ताकि एनपीए/एसएमए–2 एमएसएमई उधारकर्ताओं को कोविड–19 द्वारा उन पर आए वित्तीय संकट से उबरने में मदद मिल सके।

उप–ऋण गारंटी संचालन के लिए एक अलग ऑनलाइन पोर्टल सीजीटीएमएसई द्वारा विकसित किया गया है और सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराया गया है। सीजीएसएसडी से संबंधित प्रश्नों के समाधान के लिए एक विशेष मेल आईडी बनाई गई है।

36 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सीजीएसएसडी के तहत सीजीटीएमएसई के एमएलआई के रूप में पंजीकृत किया गया है। वित्त वर्ष 2021 के दौरान, ₹ 55 करोड़ की राशि के लिए 473 आवेदनों हेतु गारंटी कवर को स्वीकृति प्रदान की गई है।

8.2 **पीएम स्वनिधि के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस–पीएमएस)** : आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने 02 जुलाई, 2020 को सड़क विक्रेताओं को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 'पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)' नामक एक योजना लागू की है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण की सुविधा के लिए, एक गारंटी योजना अर्थात पीएमस्वनिधि ऋण गारंटी योजना की परिकल्पना की गई, जो सीजीटीएमएसई द्वारा संचालित है।

योजना के संचालन के लिए सीजीटीएमएसई द्वारा एक पृथक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है और ऋणदाता संस्थानों के प्रश्नों के समाधान के लिए अलग से ईमेल आईडी दी गई है। 31 मार्च, 2021 तक, 122 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को पीएम स्वनिधि के तहत सीजीटीएमएसई के साथ पंजीकृत किया गया है। 31 मार्च, 2021 तक, 14,47,266 आवेदनों को ₹ 1,435 करोड़ हेतु योजना के अंतर्गत कवर किया गया।

इसके अतिरिक्त, योजना को बढ़ावा देने की दृष्टि से, सीजीटीएमएसई ने सभी बैंकरों को सीजीएसएसडी और पीएमस्वनिधि पर सूचना प्रसारित करने के लिए पूरे भारत में 30 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। सीजीटीएमएसई ने उद्योग संघों के साथ–साथ बैंकरों के लिए विशेष रूप से सीजीएसएसडी पर 2 आउटरीच कार्यक्रम और 3 कार्यशालाएं आयोजित की थी और योजना संबंधी सूचना के प्रचार–प्रसार के लिए विशेष रूप से पीएमस्वनिधि के लिए 4 कार्यशालाएं आयोजित की।

8.3 **कोविड के कारण दी गई छूट** : इस वर्ष को कोविड–19 महामारी के रूप में मानव जाति के इतिहास में सबसे कठिन समयों में गिना जायेगा। सामान्य तौर पर अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से एमएसई क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ। सीजीटीएमएसई ने उन लोगों को विभिन्न महत्वपूर्ण समयसीमाओं में विस्तार के रूप में छूट प्रदान की है जो कोविड–19 महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए।

- **गारंटी आवेदन दाखिल करने में विस्तार** : एमएलआई को ऋण सुविधा की स्वीकृति की तिथि से अगली तिमाही के अंत तक गारंटी आवेदन दाखिल करना अपेक्षित है। गारंटी आवेदनों को दाखिल करने के लिए समय में छूट उन मामलों में दी गई, जहां आवेदन दाखिल करने का समय समाप्त हो गया था।

- **एनपीए अंकन के लिए समयसीमा में विस्तार** : ऋणदाता संस्थानों के लिए सीजीटीएमएसई पोर्टल में एनपीए को अंकित करने के लिए समय सीमा में विस्तार किया गया, क्योंकि उन्हें आरबीआई/माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्टे ऑर्डर के कारण एनपीए घोषित करने की अनुमति नहीं मिली। सीजीटीएमएसई ने एनपीए अंकित करने के लिए 31 जुलाई, 2021 तक समय में छूट दी।

- **दावा दाखिल करने की समयसीमा में विस्तार** : दिशानिर्देशों के अनुसार, एमएसई उधारकर्ता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करने के पश्चात् एनपीए की तिथि से तीन वर्ष के भीतर दावा दायर किया जा सकता है। चूंकि एमएलआई डीआरटी और अन्य कानूनी फोरमों के गैर परिचालन के कारण कानूनी कार्रवाई शुरू करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए जहां दावा आवेदन दाखिल करने का समय समाप्त हो चुका था, वहां दावा दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाकर समय में छूट दी गई।

- **गारंटी आवेदन के लिए समयसीमा में विस्तार** : एमएलआई द्वारा ऐसे एमएसई उधारकर्ताओं के लिए ऋण–अदायगी की अवधि के मामलों में विस्तार किया गया था, जो अपनी किश्तों का भुगतान करने की स्थिति में नहीं थे, तदनुरूप सीजीटीएमएसई द्वारा गारंटी की वैधता हेतु भी संबंधित समयसीमा बढ़ाई गई।

9. एमएलआई के साथ निरंतर वार्तालाप

योजना की पहुंच को गहन और व्यापक बनाने के लिए, सीजीटीएमएसई ने अपनी संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) के बारे में जानकारी के प्रचार–प्रसार और इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सक्षम बनाने हेतु शुरू की गई विशेष गारंटी योजनाओं का उपयोग करने के बारे में एमएलआई को समझाने के लिए सर्किल कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्रों, आदि सहित विभिन्न स्तरों पर अपने सदस्य ऋणदाता संस्थानों के बैंक अधिकारियों के लिए विभिन्न कार्यशालाओं/प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया और उनमें भाग लिया।

वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान, सीजीटीएमएसई ने 79 सेमिनारों/कार्यशालाओं/बैंकरों की बैठक में भाग लिया और 296 व्यवसाय विकास बैठकें आयोजित कीं और क्रेडिट गारंटी योजना के विभिन्न पहलुओं पर बैंक अधिकारियों/छोटे उद्यमों को संवेदनशील बनाने के लिए प्रस्तुतियां दीं।

10. सीजीएस प्रचालनों का समग्र प्रभाव

सीजीटीएमएसई के प्रचालन कार्यों का ऋण गारंटीकृत एमएसई के कारोबार, निर्यात और रोजगार के मामले में सकारात्मक प्रभाव पड़ा जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है :

विवरण	31.03.2021 की यथास्थिति के अनुसार	31.03.2020 की यथास्थिति के अनुसार
सभी योजनाओं के लिए स्वीकृत संचयी गारंटियां (संख्या में)	65,90,413	43,07,082
सभी योजनाओं के लिए ऋण राशि (एमएलआई द्वारा विस्तारित) (रु. करोड़ मे)	2,60,202	2,21,812
गारंटीकृत इकाइयों का अनुमानित कारोबार (रु. करोड़ में)	45,58,501	34,22,643
गारंटीकृत इकाइयों द्वारा अनुमानित निर्यात (रु. करोड़ में)	16541	14,648
अनुमानित रोजगार सृजन (संख्या लाख में)	132	127
सभी योजनाओं के लिए एमएलआई की संख्या	304	126
महिला लाभार्थी (कुल गारंटी राशि का प्रतिशत)	14	15
एनईआर (प्रतिशत)	3	3.2

ध्यान दें: बीच में रद्दीकरण/संशोधनों के कारण वास्तविक आंकड़ों में परिवर्तन हो सकता है।

11. लेखा परीक्षक

सनदी लेखाकार की मुंबई स्थित फर्म मैसर्स कोचर एंड एसोसिएट्स को वित्त वर्ष 2020–21 के लिए सीजीटीएमएसई के आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। लेखापरीक्षकों ने संपूर्ण प्रणाली की व्यापक समीक्षा की और राजस्व, व्यय, निवेश आदि को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा भी की। भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा अनुशंसित किये गये अनुसार, बोर्ड ने सनदी लेखाकार की मुंबई स्थित फर्म मैसर्स जैन त्रिपाठी एंड कंपनी को वित्त वर्ष 2020–21 के लिए सीजीटीएमएसई के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया।

12. लेखा

ट्रस्ट ने ₹ 2174.26 करोड़ की सकल आय अर्जित की, जिसमें मुख्य रूप से गारंटी शुल्क (₹ 565.64 करोड़) और वार्षिक गारंटी और सेवा शुल्क (₹ 733.34 करोड़), निवेश पर अर्जित आय ₹ 722.71 करोड़) और एमएलआई से वसूली (₹ 143.77 करोड़) शामिल हैं। ट्रस्ट ने विभिन्न परिचालन और प्रशासनिक व्यय के लिए ₹ 9.57 करोड़ की राशि खर्च की। वित्तीय वर्ष 2009 से ट्रस्ट की देयता के बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक प्रावधान किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2020–21 के प्रावधान का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
01 अप्रैल, 2020 तक प्रारंभिक शेष राशि	3,847.38
घटाएं : वर्ष के दौरान भुगतान किया गया दावा	703.30
जोड : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	2,073.04
31 मार्च, 2021 को अंतिम शेष राशि	5,217.12

31 मार्च, 2021 की यथास्थिति के अनुसार, संचयी प्रावधान ₹ 5,217.12 करोड़ होने का अनुमान है। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार दावों के प्रावधान के उपरांत व्यय से अधिक आय (कर पूर्व) ₹ 91.38 करोड़ थी। 31 मार्च, 2021 को कोष की आधारभूत निधि का आकार ₹ 7500 करोड़ था। इस निधि का अंशदान पहले ही प्राप्त हो चुका है, और ट्रस्ट द्वारा अब तक अर्जित शुद्ध आय को बैंकों/संस्थानों के सावधि जमा और म्युचुल फन्ड में निवेश किया गया। यथा 31 मार्च, 2021 को कुल कोष राशि पिछले वर्ष के अंत में ₹ 12,848.15 करोड़ की तुलना में ₹ 14,665.93 करोड़ थी।

13. प्रबंधन और संगठन

13.1 वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, न्यासी मंडल में सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पदेन अध्यक्ष के रूप में; अतिरिक्त सचिव और विकास आयुक्त (एमएसएमई), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार पदेन उपाध्यक्ष के रूप में; भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के अध्यक्ष पदेन सदस्य के रूप में और सीजीटीएमएसई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में शामिल थे। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, न्यासी मंडल की दो बैठकें (परिपत्र संकल्प के माध्यम से एक बैठक सहित) आयोजित की गईं। 31 मार्च, 2021 की यथास्थिति के अनुसार, सिडबी से सीईओ सहित चार अधिकारी सीजीटीएमएसई में प्रतिनियुक्ति पर थे।

13.2 सीजीटीएमएसई का न्यासी मंडल डीसी (एमएसएमई) कार्यालय, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार, सिडबी, आरबीआई, आईबीए, सीजीटीएमएसई के एमएलआई, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य–स्तरीय संस्थानों और एमएसई उद्योग संघों से प्राप्त समर्थन और सहयोग की सराहना करता है।

वित्तीय विवरण

जैन त्रिपाठी एंड कं.
सनदी लेखाकार
मुख्यालयः 204–बी, रूबी अपार्टमेंट्स, सर एम.वी. मार्ग, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई–400069
फोन नं. 022–26830868 मोबाइल 09321028751/9869217845 ई–मेल admin@jaintripathi.com

सेवा मे
न्यासी मंडल
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट
मुम्बई

1. हमने 31 मार्च, 2021 की यथास्थिति अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्‌यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट के संलग्न तुलनपत्र और उसके साथ संलग्न इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाते और नकदी प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी न्यासी प्रबंधन की है। हमारा दायित्व यह है कि हम अपने लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के बारे में अभिमत व्यक्त करें।

2. भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार हमने लेखापरीक्षा निष्पादित की है । उन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार करें कि वित्तीय विवरणों के तथ्यगत मिथ्याकथनों से मुक्त होने के विषय में समुचित रूप से आश्वस्त हुआ जा सके। लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच, वित्तीय विवरणों की घोषणाओं और धनराशियों के समर्थन में साक्ष्यों को शामिल किया जाता है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत लेखांकन सिद्धांतों और किये गये महत्वपूर्ण अनुमानों के आकलन के साथ–साथ समग्र वित्तीय प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा लेखाओं का युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती है।

3. हम निम्नानुसार सूचित करते हैं किः
   - क. हमने वे सभी जरूरी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किये जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन हेतु आवश्यक थे।
   - ख. हमारा अभिमत है कि लेखा बहियों की हमने जो जांच की है, उससे यह प्रतीत होता है कि ट्रस्ट ने कानूनन अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का रखरखाव किया है।
   - ग. इस रिपोर्ट में जिस तुलनपत्र, आय एवं व्यय खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण का उल्लेख किया गया है, वह लेखा बहियों के अनुरूप है।
   - घ. हमारी राय में वित्तीय विवरणों और उनके साथ पठित टिप्पणियां भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सही और उचित स्थिति प्रस्तुत करती हैं।
     - i) तुलनपत्र के मामले में 31 मार्च, 2021 को ट्रस्ट के कामकाज के मामले में
     - ii) आय एवं व्यय लेखाओं के मामले में इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ट्रस्ट के अधिशेष के बारे में।
     - iii) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ट्रस्ट के नकदी प्रवाह के बारे में।

कृते जैन त्रिपाठी एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 103979डब्ल्यू

हस्ता./–
डी.पी. त्रिपाठी
साझेदार
एम. नं. 013593

स्थान : मुम्बई
दिनांक : जुलाई 28, 2021

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट
31 मार्च 2021 की स्थिति का
तुलन–पत्र

विवरण	अनुसूचियां	यथा 31.03.2021 को		यथा 31.03.2020 को	
		(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
निधियों का स्रोत					
समूह निधि	1		87,39,94,08,787		86,82,23,05,718
सामान्य आरक्षितियां	2		74,20,662		74,20,662
चालू देयताएं एवं प्रावधान	3		67,99,96,81,322		49,880,287,148
कुल			**1,55,40,65,10,771**		**1,36,71,00,13,528**
निधियों का अनुप्रयोग अचल आस्तियाँ					
कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर		3,07,70,623		2,98,65,045	
घटाएं: मूल्यह्रास आरक्षिती		2,57,80,225	4,990,398	23,467,099	63,97,946
फर्नीचर एवं फिक्चर		9,77,224		10,31,191	
घटाएं: मूल्यह्रास आरक्षिती		5,53,651	4,23,573	4,92,025	5,39,166
मोटर कार		12,66,029		12,66,029	
घटाएं: मूल्यह्रास आरक्षिती		10,16,964	2,49,065	8,66,623	3,99,406
बिजली के उपकरण		9,00,126		9,86,592	
घटाएं: मूल्यह्रास आरक्षिती		5,11,354	3,88,772	5,17,932	4,68,660
			60,51,808		**78,05,178**
निवेश	4		151,97,39,84,801		1,32,44,33,74,825
चालू परिसम्पत्तियां					
रोकड़ शेष			4,552		4,716
बैंक में शेष राशि	5		72,36,79,780		4,854,09,531
प्राप्तियां	6		16,03,62,292		16,10,44,550
कर प्राधिकरणों से वापसी योग्य रकम	7		2,54,24,27,538		3,61,23,74,728
कुल			**1,55,40,65,10,771**		**1,36,71,00,13,528**
लेखे से सम्बद्ध टिप्पणियां	9		-		-

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन त्रिपाठी एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 103979डब्ल्यू

हस्ता./–
(डी.पी. त्रिपाठी)
साझेदार
सदस्यता सं. 013593

स्थानः मुम्बई
दिनांकः 28 जुलाई, 2021

उक्त तुलनपत्र और इसमें संलग्न अनुसूचियों का हम एतद्द्वारा सत्यापन करते हैं

न्यासी मंडल की ओर से

हस्ता./–
(सिवसुब्रमणियन रमण, आईए एंड एएस)
अध्यक्ष

हस्ता./–
(संदीप वर्मा)
सदस्य सचिव

UDAAN

cgtmse

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

आय एवं व्यय लेखा

विवरण	अनुसूचियाँ	राशि (₹)	
		वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
आय			
सावधि जमाराशि पर ब्याज		7,15,01,83,820	8,29,99,48,042
म्युचुअल फंड से आय		7,68,75,815	11,65,53,875
गारंटी शुल्क		5,65,64,33,557	4,03,44,36,882
वार्षिक गारंटी शुल्क/वार्षिक सेवा शुल्क		7,33,33,62,470	5,58,69,01,737
विविध आय		4,63,805	8,13,820
भुगतान किये गये दावे खाते पर एमएलआई से वसूलियां		1,43,76,87,147	1,98,89,26,944
आयकर वापसी पर ब्याज		8,75,88,041	2,88,47,115
		21,74,25,94,655	**20,05,64,28,415**
व्यय			
परिचालन और अन्य प्रशासनिक व्यय	8	9,57,02,303	8,42,63,063
गारंटी दावों के लिए प्रावधान		20,73,04,00,000	19,12,23,00,000
बैंक प्रभार		12,647	11,899
मूल्यह्रास		26,76,636	20,73,064
		20,82,87,91,586	**19,20,86,48,026**
व्यय की तुलना में आय का आधिक्य		**91,38,03,069**	**84,77,80,389**
जोड़ें/(घटाएं): पूववर्ती अवधि की मदें		-	-
कर से पूर्व अधिशेष		**91,38,03,069**	**84,77,80,389**
जोड़ें: आयकर प्रावधान पुनरांकित		-	-
घटाएं: आयकर हेतु प्रावधान		(33,67,00,000)	-
कर पश्चात अधिशेष		**57,71,03,069**	**84,77,80,389**
घटाएं: सामान्य आरक्षिती को अंतरण		**-**	**-**
व्यय की तुलना में आय के अधिशेष को समूह निधि में शामिल किया गया		**57,71,03,069**	**84,77,80,389**
खातों से सम्बद्ध टिप्पणियां	**9**		

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन त्रिपाठी एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 103979डब्ल्यू

हस्ता./–
(डी.पी. त्रिपाठी)
साझेदार
सदस्यता सं. 013593

स्थान: मुम्बई
दिनांक: 28 जुलाई, 2021

उक्त आय एवं व्यय खाते और इसमें संलग्न अनुसूचियों का हम एतद्द्वारा सत्यापन करते हैं

न्यासी मंडल की ओर से

हस्ता./–
(सिवसुब्रमणियन रमण, आईए एंड एएस)
अध्यक्ष

हस्ता./–
(संदीप वर्मा)
सदस्य सचिव

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

नकदी प्रवाह विवरण

	विवरण	31 मार्च 2021 (₹)		31 मार्च 2020 (₹)	
	परिचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
	आय एवं व्यय विवरणी के अनुसार, कर–पूर्व व्यय पर आय का आधिक्य		**91,38,03,069**		**84,77,80,389**
जोड़ें:	आय एवं व्यय खातों में नामे मूल्यह्रास	26,76,636		20,73,064	
	आय एवं व्यय खातों में नामें गारंटी दावों के संबंध में प्रावधान	20,73,04,00,000		19,12,23,00,000	
घटाएँ:	सावधि जमाराशि पर ब्याज	(7,15,01,83,820)		(82,99,94,80,42)	
घटाएँ:	आयकर वापसी पर ब्याज	(8,75,88,041)		(2,88,47,115)	
घटाएँ:	म्युचुअल फंड से आय	(7,68,75,815)		(11,65,53,875)	
			13,41,84,28,960		**10,67,90,24,032**
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व नकदी प्रवाह		**14,33,22,32,029**		**11,52,68,04,421**
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन				
	प्राप्त राशियों में (वृद्धि)/कमी	6,82,258		(25,39,141)	
	अन्य मदों में (वृद्धि)/कमी कर प्राधिकरणों से वापसी योग्य राशि में (वृद्धि)/कमी	1,27,10,60,083		11,58,49,352	
	वर्तमान देयताओं में (वृद्धि)/कमी	4,42,20,08,881		7,76,29,96,857	
			5,69,37,51,222		**7,87,63,07,068**
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पश्चात नकदी प्रवाह में परिवर्तन		**20,02,59,83,251**		**19,40,31,11,489**
घटाएँ:					
	वर्ष के दौरान निपटाए गये दावे	(7,03,30,14,707)		(1,00,136,87,393)	
	कर की अग्रिम अदायगी	(53,78,12,893)		(82,99,86,159)	
			(7,57,08,27,600)		**(10,84,36,73,552)**
	परिचालन कार्यकलापों से उत्पन्न/(प्रयुक्त) निवल नकदी प्रवाह (क)		**12,45,51,55,651**		**8,55,94,37,937**
	निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह				
	वर्ष के दौरान अचल आस्तियों का (अधिग्रहण)/निपटान	(9,23,266)		(11,95,850)	
	वर्ष के दौरान निवेश में अनुवृद्धि	(19,53,06,09,976)		(22,44,24,11,744)	

	विवरण	31 मार्च 2021 (₹)		31 मार्च 2020 (₹)	
	निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी प्रवाह (ख)		**(19,53,15,33,242)**		**(22,44,36,07,594)**
	वित्तपोषण कार्यकलापों से उत्पन्न नकदी प्रवाह				
	वर्ष के दौरान समूह निधि में की गई वृद्धि	-		5,85,10,00,000	
	म्युचुअल फंडों पर ब्याज आय	7,68,75,815		11,65,53,875	
	आयकर वापसी पर ब्याज आय	8,75,88,041		2,88,47,115	
	निवेशों पर ब्याज आय	7,15,01,83,820		8,29,99,48,042	
	वित्तपोषण कार्यकलापों से उत्पन्न निवल नकदी प्रवाह (ग)		**7,31,46,47,676**		**14,29,63,49,032**
	वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह में हुई निवल वृद्धि (क)+(ख)+(ग)		**23,82,70,085**		**41,21,79,375**
	नकद एवं नकद समतुल्य का आरंभिक शेष		48,54,14,247		7,32,34,872
	नकद एवं नकद समतुल्य का अंतिम शेष		**72,36,84,332**		**48,54,14,247**

टिप्पणियाँ:

1 नकद राशियों एवं बैंक में शेष राशियों में नकद राशियाँ एवं नकद समतुल्य शामिल है

2 कोष्ठक में दिए गए आंकड़े नकद राशियों के बहिर्गमन को दर्शाते हैं

3 31 मार्च 2021 तक की नकद राशियाँ एवं नकदी समतुल्य में निम्नलिखित शामिल है

	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
नकदी	4,552	4,716
बैंक में शेष	72,36,79,780	48,54,09,531
कुल	**72,36,84,332**	**48,54,14,247**

4 आवश्यकतानुसार पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनर्समूहन किया गया है।

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन त्रिपाठी एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 103979डब्ल्यू

हस्ता./–
(डी.पी. त्रिपाठी)
साझेदार
सदस्यता सं. 013593

स्थानः मुम्बई
दिनांकः 28 जुलाई, 2021

उक्त नकदी प्रवाह खाते और इसमें संलग्न अनुसूचियों का हम एतद्द्वारा सत्यापन करते हैं

न्यासी मंडल की ओर से

हस्ता./–
(सिवसुब्रमणियन रमण, आईए एंड एएस)
अध्यक्ष

हस्ता./–
(संदीप वर्मा)
सदस्य सचिव

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

तुलनपत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

विवरण	यथा 31.03.2021 (₹)	यथा 31.03.2020 (₹)
अनुसूचीः 1		
समूह निधि		
निम्नलिखित से प्राप्त		
भारत सरकार	70,00,00,33,000	70,00,00,33,000
सिडबी	5,00,00,00,000	5,00,00,00,000
(आरएसएफ एवं आरएसएफ की समूह निधि क्रमशः 1 और 2 ₹ 25,00,00,000/– एवं ₹ 7,77,50,000/– सहित)		
(क)	**75,00,00,33,000**	**75,00,00,33,000**
व्यय की तुलना में आय का अधिशेष		
अग्रेषित शेष	11,82,22,72,718	10,97,44,92,329
जोड़ें: वर्तमान वर्ष का अधिशेष	57,71,03,069	84,77,80,389
(ख)	**12,39,93,75,787**	**11,82,22,72,718**
(क+ख)	**87,39,94,08,787**	**86,82,23,05,718**
अनुसूचीः 2		
सामान्य आरक्षितियां		
अग्रेषित शेष	74,20,662	74,20,662
जोड़ें: आय और व्यय खाते से अंतरित	-	-
	74,20,662	**74,20,662**
अनुसूचीः 3		
चालू देयताएँ और प्रावधान		
गारंटी दावों के लिए प्रावधान (अनुसूची 9 की टिप्पणी सं. 7 भी देखिए)	52,17,11,91,147	38,47,38,05,854
व्यय के प्रति बकाया देयताएँ	1,74,46,127	1,14,64,552
देय गारंटी दावे	3,48,550	8,55,33,902
देय टीडीएस	17,17,878	14,99,333
देय व्यवसायिक कर	2,200	2,400
लौटाए जाने योग्य गारंटी शुल्क	64,25,823	44,77,279
लौटाए जाने योग्य वार्षिक सेवा/गारंटी शुल्क	32,20,084	72,31,850
डीसी (हस्तशिल्प एवं हथकरघा) भारत सरकार से जीएफ व एएसएफ के लिए प्राप्त अग्रिम	22,99,875	23,38,301
गारंटी शुल्क के प्रति प्राप्त अग्रिम	2,46,34,49,029	3,18,70,65,101
देय वस्तु एवं सेवाएँ कर	1,59,13,85,707	1,25,50,99,852
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से "पीएम स्वानिधि" के प्रति प्राप्त निधि	63,68,84,944	-
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से "पीएम स्वानिधि" के प्रति देय टीडीएस	9,63,644	-
एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार से सीजीएसएसडी के प्रति प्राप्त निधि	1,57,41,00,000	-
जीएफ विनियोजन खाता	8,09,913	7,59,820
एएसएफ विनियोजन खाता	60,34,377	21,96,629
वार्षिक गारंटी नवीकरण शुल्क के प्रति प्राप्त अग्रिम	9,52,15,98,024	6,84,62,01,275
संविदा के लिए ईएमडी	18,04,000	26,11,000
	67,99,96,81,322	**49,88,02,87,148**

विवरण	यथा 31.03.2021 (₹)	यथा 31.03.2020 (₹)
अनुसूचीः 4		
निवेश		
1) बैंकों के सावधि जमा में निवेश		
i) डीसी (हस्तशिल्प एवं हथकरघा), भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम का निवेश	22,89,450	23,29,459
ii) एमएचओयू नीधि (पीएम स्वानिधि), भारत सरकार का निवेश	63,68,84,944	-
iii) एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार की निधि (सीजीएसएसडी) का निवेश	1,57,54,52,169	-
iv) समूह निधि एवं अन्य निधियों का निवेश	147,11,20,48,238	130,04,38,58,845
2) म्यूचुअल फ़ंड में निवेश	2,64,73,10,000	2,39,71,86,521
[म्यूचुअल फ़ंड में निवेशों का बाजार मूल्यः ₹ 264,99,06,108]		
	151,97,39,84,801	**1,32,44,33,74,825**
अनुसूचीः 5		
बैंक में जमा शेष		
चालू खाते		
आईडीबीआई बैंक लि.,	4,00,25,340	7,31,78,237
आईडीबीआई बैंक लि., – डीसी (हस्तशिल्प), भारत सरकार	24,873	13,299
आईडीबीआई बैंक लि., – डीसी (हस्तकरघा), भारत सरकार	3	3
कार्पोरेशन बैंक	68,23,13,066	41,18,77,537
भारतीय स्टेट बैंक	13,16,498	3,40,455
	72,36,79,780	**48,54,09,531**
अनुसूचीः 6		
प्राप्तियाँ		
पूर्वप्रदत्त व्यय	1,87,500	1,89,510
प्राप्य शुल्क	55,278	21,87,242
इनपुट कर जमा	44,87,137	30,35,421
सेवा कर (ईसी/एसएचसीई)	31,36,145	31,36,145
वसूली योग्य सेवा कर	15,24,96,232	15,24,96,232
	16,03,62,292	**16,10,44,550**
अनुसूचीः 7		
कर प्राधिकरणों से प्राप्य राशि		
वापसी योग्य आयकर 31/3/10	39,86,08,031	39,86,08,031
वापसी योग्य आयकर 31/3/11	12,13,84,436	12,13,84,436
वापसी योग्य आयकर 31/3/12	1,38,88,000	1,38,88,000
वापसी योग्य आयकर 31/3/13	13,25,69,729	13,25,69,729
वापसी योग्य आयकर 31/3/15	43,95,61,396	43,95,61,396
वापसी योग्य आयकर 31/3/17	32,39,09,904	416,881,816
वापसी योग्य आयकर 31/3/18	2,16,46,094	50,98,47,499
वापसी योग्य आयकर 31/3/19	-	68,98,86,766
वापसी योग्य आयकर 31/3/20	82,99,86,159	82,99,86,159
प्रदत्त टीडीएस 31/3/2021	53,78,12,893	-
सेवा कर मांग के सापेक्ष पूर्व–जमा	5,97,60,896	5,97,60,896
कर प्राधिकरणों से प्राप्य राशि **(a)**	**2,87,91,27,538**	**3,61,23,74,728**
वित्त वर्ष 2020–21 आयकर हेतु प्रावधान **(b)**	(33,67,00,000)	-
कर प्राधिकरणों से प्राप्य राशि **(a) - (b)**	**2,54,24,27,538**	**3,61,23,74,728**

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

आय एवं व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

विवरण	वर्तमान वर्ष (₹)	विगत वर्ष (₹)
अनुसूची: 8		
परिचालन और अन्य प्रशासनिक व्यय		
विज्ञापन और प्रचार व्यय	4,81,037	7,20,184
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	3,35,000	3,35,000
आवागमन और वाहन पर व्यय	1,74,039	2,14,122
कूरियर/डाक प्रभार	19,795	25,852
बीमा प्रभार	75,076	27,957
आंतरिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	2,80,000	2,80,000
आई टी सेवा	3,23,28,116	1,90,90,365
सदस्यता शुल्क	-	2,50,000
विविध व्यय	4,32,942	10,69,519
कार्यालय व्यय	8,28,080	10,03,929
कार्यालय का किराया	81,39,210	90,12,120
कार्मिकों पर लागत और व्यय	4,43,96,058	4,27,95,187
मुद्रण और लेखन–सामग्री	1,71,469	7,37,133
अधिवक्ता शुल्क	75,000	55,000
व्यवसायिक शुल्क	77,27,500	8,3,14,340
दूरभाष व्यय	22,310	36,397
यात्रा संबंधी व्यय	2,16,671	2,95,958
	9,57,02,303	**8,42,63,063**

UDAAN
cgtmse

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु

आय और व्यय के भाग के रुप में समूहन

विवरण	यथा 31.03.2021 (₹)	यथा 31.03.2020 (₹)
सूची 1: कार्मिक व्यय		
कर्मचारियों (सिडबी) को वेतन और भत्ते	1,75,28,182	2,10,94,580
संविदा कर्मचारियों को वेतन और भत्ते	2,55,22,107	2,04,58,435
कूपन खर्च (सोडेक्सो)	13,45,769	12,42,172
	4,43,96,058	**4,27,95,187**
सूची 2: विविध व्यय		
मरम्मत और रखरखाव	63,754	83,646
अचल आस्ति को बट्टे खाते में डालने/बिक्री पर हानि	36,312	70,846
स्टाफ कल्याण	97,795	91,092
विविध व्यय	2,35,081	8,23,935
	4,32,942	**10,69,519**
सूची 3: मुद्रण और स्टेशनरी		
मुद्रण खर्च	-	5,70,234
स्टेशनरी और कंप्यूटर उपभोग्य सूची	1,71,469	1,66,899
	1,71,469	**7,37,133**
सूची 4: विविध आय		
विविध प्राप्तियां	25,926	99,571
पंजीकरण, निविदा और खोज शुल्क	42,279	74,231
दांडिक ब्याज	3,95,600	6,40,018
	4,63,805	**8,13,820**
सूची–5: व्यय के प्रति बकाया देयताएं		
चेतन टी शाह एंड कंपनी	1,35,000	1,35,000
एडिक्वेर इंफो प्रा. लि.	6,726	-
ग्लोबलकॉम आईडीसी लिमिटेड	10,79,286	13,07,082
जैन त्रिपाठी एंड कंपनी	3,01,500	3,01,500
खंडेलवाल जैन एंड कंपनी	4,05,000	4,05,000
कोचर एंड एसोसिएट्स	63,000	63,000
के. एस. सांघवी एंड कंपनी	4,500	4,500

विवरण	यथा 31.03.2021 (₹)	यथा 31.03.2020 (₹)
एम एम निसिम एंड कंपनी	-	24,803
साई कूजिन हॉस्पिटेली सर्विसेस प्रा. लि.	8,652	-
पाथ इंफोटेक लि.	35,32,110	29,50,224
रिलायंस कम्युनीकेशंस लिमिटेड	3,05,410	3,91,811
श्यामलाल दाधीच एंड एसोसिएट्स	-	3,06,045
सिडबी	23,31,576	45,97,013
टी एंड एम सर्विसेज कॉन प्राइवेट लि.	8,02,994	8,65,931
डायनाकॉन सिस्टम एंड सोल्यूशन	60,727	60,727
वायसटेक सिस्टम टेक प्रा. लि.	-	51,916
एस्टयूट सिस्टम प्रा. लि.	82,058	-
ई.एस.डी.एस. सोफ्टवेयर शोल्यूशन प्रा. लि.	2,00,172	-
टाटा कम्यूनिकेशन लिमिटेड	77,17,016	-
टाटा टेल सर्विस लि.	410,400	
	1,74,46,127	**1,14,64,552**

तुलन–पत्र एवं आय और व्यय खाते के भाग के रूप में अनुसूची

अनुसूची : 9 लेखा टिप्पणियाँ :

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

क) लेखांकन व्यवहार

ऐतिहासिक लागत लेखांकन विधि सहित सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय विवरणियाँ तैयार की गई हैं।

ख) आय और व्यय का निर्धारण

ट्रस्ट, लेखांकन में व्यापारिक आधार का अनुपालन करता है, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो। ट्रस्ट की आय के प्रमुख स्रोतों का निर्धारण इस प्रकार है :

गारंटी शुल्क

संबंधित सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं से भुगतान प्राप्त होने और बैंक खाते में जमा होने के पश्चात ही इसे गारंटी शुल्क से आय के रूप में निर्धारित किया जाता है।

मियादी जमा राशियों पर ब्याज आय

मियादी जमा राशियों पर ब्याज आय का निर्धारण उपचय आधार पर किया जाता है।

भुगतान किये गये दावों में सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं से वसूली

सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं से की गई वसूली पर आय को तब मान्यता दी जाती है, जब राशि की वसूली हो जाती है।

म्युचुअल फंड से आय

म्युचुअल फंड की यूनिटों के मोचन के समय पूंजीगत लाभ के परिकलन के प्रयोजन से म्युचुअल फंड की लागत की गणना भारित औसत आधार पर की जाती है।लाभ का निर्धारण मोचन पर किया जाता है।

ग) अचल आस्तियां

वित्तीय विवरणियों में अचल परिसम्पत्तियों का निर्धारण लागत पर किया गया है। लागत में खरीद, भाड़ा, परिवहन और उसे वर्तमान स्थान तथा स्थिति में लाने पर हुई अन्य लागत शामिल हैं। अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित किये गये अनुसार अनुमानित उपयोग अवधि के आधार पर सीधी रेखा पद्धति के अनुसार प्रभारित किया गया है।

घ) निवेश

न्यास के निवेशों में बैंकों/वित्तीय संस्थानों में सावधि जमा और म्युचुअल फंड में निवेश शामिल है। म्युचुअल फंड में निवेश भारित औसत लागत में से वर्ष के दौरान हुई हानि, यदि कोई हो, को घटा कर या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर वर्णित की गई है।मियादी जमा राशियों में निवेश, अपने लागत तथा उस पर उपचित ब्याज के साथ वर्णित है। विकास आयुक्त (हथकरघा) और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार के कार्यालयों से प्राप्त निधियों में निवेश तुलनपत्र में अलग से दर्शाए गए हैं।

ड.) सेवानिवृत्ति लाभ

इस ट्रस्ट में प्रतिनियुक्ति पर आए सिडबी के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति का लाभ सिडबी द्वारा प्रदान किया जाता है और इसे वार्षिक रूप से प्रतिपूर्ति आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है।

(करोड़ ₹ में)

2.

विवरण	यथा 31.03.21	यथा 31.03.20
गारंटी का अनुमोदन	2,58,712	2,21,812
जारी गारंटी	2,30,520	1,99,106
मंजूर, गारंटी परंतु लंबित निष्पादन	28,244	22,706
बकाया गारंटी	1,09,955	99,492
बकाया गारंटी से सीजीटीएमएसई की समग्र देयता	78,924	72,986
प्रथम दावे की किस्त के प्रति सीजीटीएमएसई की देयता	59,193	54,739

ट्रस्ट द्वारा रोके गए दावों के प्रति किए गए प्रावधान के अलावा एमएसई के गैर निष्पादक होने की स्थिति में उसके प्रति दी गई गारंटी की आकस्मिकता के लिए ट्रस्ट उत्तरदायी है, जिसकी प्रतिभूति स्वरूप ऐसी गारंटी दी जाती है/मंजूर की जाती है।

3. ट्रस्ट स्टाफ और आईटी सेवाओं की सुविधाएँ सिडबी से प्राप्त कर रहा है। 4 अक्टूबर, 2001 को सिडबी और ट्रस्ट के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार जुलाई, 2009 तक ट्रस्ट के कार्यों के लिए सिडबी द्वारा सीधे किए गए प्रशासनिक व्यय के लिए ट्रस्ट ने 20 प्रतिशत की दर से सेवा शुल्क का भुगतान किया है।यद्यपि, आपसी निर्णय के अनुसार अगस्त 2009 से इसे बंद कर दिया गया है।

4. ट्रस्ट पहली बार में दावा राशि का 75% भुगतान करता है, वसूली की कार्यवाही के समापन के बाद शेष 25% राशि का भुगतान किया जाता है। कुल 1,107 मामलों (गत वर्ष में 3,324 मामलों) के लिए शेष 25% राशि का भुगतान किया गया। तथापि, अन्य मामलों में, सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को अभी तक वसूली कार्यवाही के निष्कर्ष की स्थिति के बारे में रिपोर्ट देना बाकी है, जिससे वे शेष रकम प्राप्त करने के लिए पात्र बनते हैं। इसके अलावा, परिपत्र संख्या–138/2017–18 के माध्यम से, ट्रस्ट ने सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) द्वारा विप्रेषित शुल्क और वसूली के आधार पर कुल दावा निपटान (यानी दावे की पहली और दूसरी किस्तों का निपटान) के लिए अंतिम सीमा शुरू की है। संबंधित सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) के दावों का निपटारा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान विप्रेषित वसूली सहित शुल्क के दोगुने राशि तक किया जाएगा।

5. लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक ₹ 3,35,000/– (गत वर्ष में ₹ 3,35,000/–) है। शुल्क में कर शामिल नहीं है।

(₹ में राशि)

विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
लेखापरीक्षा शुल्क	2,75,000	2,75,000
कर लेखापरीक्षा शुल्क	60,000	60,000
कुल	**3,35,000**	**3,35,000**

6. कराधान

6.1 प्रत्यक्ष कराधान

ट्रस्ट को वित्त अधिनियम 2002 द्वारा 01.04.2002 से आयकर अधिनियम, 1961 (''अधिनियम'') के तहत धारा 10(23EB) में अधिसूचित किया गया था और तदनुसार ट्रस्ट की आय को निर्धारण वर्ष 2002–03 से आरम्भ करके निर्धारण वर्ष 2006–07 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए अधिनियम की धारा 10(23EB) के तहत छूट दी गई थी।

ट्रस्ट को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए के तहत पंजीकृत किया गया था और तदनुसार ट्रस्ट ने निर्धारण वर्ष 2007–08 और निर्धारण वर्ष 2008–09 के लिए अधिनियम की धारा 11 के तहत छूट का दावा किया था। वित्त अधिनियम 2008 में 01.04.2008 अर्थात निर्धारण वर्ष 2009–2010 से धारा 2(15) में संशोधन किया था। तदनुसार, ट्रस्ट ने निर्धारण वर्ष 2009–2010 के बाद से धारा 11 के तहत लाभ का दावा नहीं किया था। तथापि, ट्रस्ट ने निर्धारण कार्यवाही के दौरान अधिनियम की धारा 11 (1) (ए) के तहत 15% की कटौती का दावा किया है।

आयकर निदेशक (छूट)–डीआईटी(ई), ने दिनांक 07.12.2011 के आदेश के माध्यम से माना था कि निर्धारिती ट्रस्ट द्वारा की गई गतिविधियों का स्वरूप व्यापार,वाणिज्य या व्यवसाय हैं और अधिनियम की धारा 2(15) के संशोधित प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, निर्धारण वर्ष 2009–10 से ट्रस्ट को दिए गए पंजीकरण को रद्द कर दिया। ट्रस्ट ने इस आदेश के खिलाफ आयकर अपीलकर्ता न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के समक्ष अपील की थी और 28.05.2014 के आदेश के माध्यम से ट्रस्ट के पक्ष में निर्णय किया गया था और आयकर अधिनियम की धारा 12ए के तहत ट्रस्ट के पंजीकरण को बहाल कर दिया गया था। आईटीएटी के उक्त आदेश के विरुद्ध विभाग ने मुंबई स्थित उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी जिसे दिनांक 02.08.2017 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। इस प्रकार आयकर अधिनियम 12ए/12एए के तहत ट्रस्ट का पंजीकरण जारी है। आईटीएटी के आदेश दिनांक 28.05.2014 को प्रभावी करने वाला आदेश सीआईटी (छूट) के कार्यालय द्वारा आदेश दिनांक 09.03.2021 के माध्यम से पारित किया गया।

निर्धारण,माँगों और अपीलों की स्थिति का वर्षवार विवरण इस प्रकार हैं:

क) निर्धारण वर्ष 2009–10 की निर्धारण कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी (ए.ओ.) ने धारा 143(3) के तहत एक आदेश पारित किया था जिसमें उन्होंने निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान अधिनियम की धारा 11(1)(ए) के अंतर्गत 15 प्रतिशत की कटौती के दावे को रद्द कर दिया था। इस आदेश के विरुद्ध ट्रस्ट ने सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की है और वह निपटान के लिए लंबित है। इस वर्ष के लिए कोई माँग बकाया नहीं है।

ख) निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए निर्धारण कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय निर्धारण अधिकारी ने क्रमशः निर्धारण वर्ष 2007–08 और निर्धारण वर्ष 2008–09 के दौरान धारा 11(2) के अंतर्गत संचयी राशि के तौर पर ₹ 94,38,84,008/– और ₹ 154,61,77,037/– के संयोजन का प्रावधान किया था और ट्रस्ट के अवस्थापक नामतः एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से प्राप्त समूह निधि के प्रति ₹ 166,41,00,000/– को जोड़ा था। निर्धारण वर्ष 2009–10 से डीआईटी(ई), मुम्बई द्वारा धारा 12(ए) के तहत ट्रस्ट का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था अतः अधिनियम की धारा 11 के तहत ट्रस्ट कोई भी लाभ पाने के लिए पात्र नहीं थी । कथित संयोजन के खिलाफ, ट्रस्ट ने आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष एक याचिका दाखिल की थी जिसे दिनांक 28.07.2014 के अपने आदेश के माध्यम से बहाल रखा गया। तथापि दिनांक 20.01.2017 के अपने आदेश के माध्यम से माननीय आईटीएटी ने ट्रस्ट को अधिनियम की धारा 11 एवं 12 के तहत छूट के दावे की अनुमति दी थी। माननीय आईटीएटी ने यह भी कहा है कि जैसा कि अधिनियम की धारा 11 एवं 12 के अंतर्गत निर्धारिती को लाभों के दावे करने की अनुमति दी है, इसलिए निर्धारिती समूह निधि के प्रति अवस्थापकों द्वारा किये गये अंशदान के संयोजन करने में सक्षम है।

उपर्युक्त आईटीएटी आदेश के खिलाफ विभाग ने मुंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की है, जिसका निपटान लंबित है। उसके बाद आईटीएटी के दिनांक 25.07.2017 के आदेश को प्रभावी मानते हुए दिनांक 09.08.2017 को आदेश प्राप्त हुआ है। ट्रस्ट से अन्य वर्षों के लिए किए गए मांग राशियों को समायोजित करने के बाद दिनांक 11.04.2018 के मांग ड्राफ्ट के माध्यम से ₹ 16,73,47,440 की राशि प्राप्त हुई है। ट्रस्ट ने अधिनियम की धारा 244, के तहत ब्याज सहित शेष वापसी राशि जारी करने के लिए दिनांक 13.02.2019 को पत्र दाखिल किया है जिस पर कार्यवाही चल रही है।

ग) निर्धारण वर्ष 2011–12 के लिए निर्धारण कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी ने धारा 143(3) के अंतर्गत जारी आदेश में वर्ष के दौरान ट्रस्ट के अवस्थापकों से समूह निधि के प्रति अंशदानों के रूप में ₹ 2,50,00,00,000/– की राशि भी जोड़ी है, जिसे इस अधिनियम की धारा 2(24)(iiए) के अंतर्गत स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय माना गया है और तद्नुसार ₹ 1,02,96,29,110/– की मांग की गई है। इस राशि को जोड़ें जाने के खिलाफ ट्रस्ट ने सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की थी जिसे माननीय सीआईटी (ए) ने निर्धारण वर्ष 2010–11 के सीआईटी (ए) के आदेश के मद्देनजर अपील को खारिज कर दिया। ट्रस्ट ने माँगी गई राशि ₹ 1,02,96,29,110 में से 31.03.2015 तक किस्तों में ₹ 51,48,14,555/– का भुगतान कर दिया था। सीआईटी (ए) के आदेश से अपकृत हो कर ट्रस्ट ने माननीय आईटीएटी के समक्ष अपील दायर की। दिनांक 26.02.2018 को माननीय आईटीएटी ने निर्धारिती ट्रस्ट के मामलों में निर्धारण वर्ष 2010–11 के आदेश का पालन कर के अपील की अनुमति दी। इसके बाद आईटीएटी के आदेश को लागू करते हुए दिनांक 07.08.2018 का आदेश जो 20.02.2019 प्राप्त हुआ है और ट्रस्ट को अन्य निर्धारण वर्षों के लिए कुछ मांगों के समायोजन के बाद 05.09.2018 के मांग ड्रॉफ्ट के माध्यम से ₹ 1,40,99,80,850/– वापस प्राप्त हुए है। तथापि, निर्धारण अधिकारी ने 07.08.2018 के आदेश में अधिनियम की धारा 11(1)(ए) के तहत 15% की कटौती के लिए मंजूरी नहीं प्रदान की। ट्रस्ट ने 13.03.2019 को लिखे पत्र के माध्यम से निर्धारण अधिकारी से शुद्धि आदेश जारी करने का अनुरोध किया था। इस संबंध में ट्रस्ट ने भी 15.03.2019 को सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की है जो निपटान के लिए अभी लंबित है।

निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के तहत आदेश पारित करके ₹ 77,25,00,000/– का जुर्माना भी लगाया था और निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए वापस की जाने वाली राशि में से माँगी गई उक्त दंडराशि को समायोजित कर दिया था। उक्त आदेश के खिलाफ, ट्रस्ट ने सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की थी और माननीय सीआईटी (ए) ने 01.03.2019 के आदेश के माध्यम से ट्रस्ट के पक्ष में अपील का निपटारा किया था और ₹ 77,25,00,000/– के उक्त दंड को हटा दिया था। ट्रस्ट ने 11.05.2019 को लिखे पत्र के माध्यम से प्रबुद्ध कर–निर्धारण अधिकारी से सीआईटी (ए) के आदेश को लागू करने और वापसी राशि जारी करने का अनुरोध किया है।

घ) निर्धारण वर्ष 2012–13 के लिए निर्धारण कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी ने वर्ष के दौरान ट्रस्ट के अवस्थापकों से समूह निधि के प्रति अंशदान राशियों के रूप में प्राप्त ₹ 2,22,50,000/– की अतिरिक्त राशि भी जोड़ी है, जिसे इस अधिनियम की धारा 2(24)(iiए) के तहत स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय माना गया है और इस कारण से ₹ 10,40,35,270/– की माँग की गई थी और इसे अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत दिनांक 13.10.2015 के माध्यम से पारित अपने आदेश के माध्यम से ₹ 10,40,35,270/– की मांग को संशोधित करके ₹ 69,44,000/– किया था। उपर्युक्त संयोजन के खिलाफ ट्रस्ट ने सीआईटी (ए) के समक्ष एक अपील दाखिल की है जिस पर विभिन्न तारीखों को सुनवाई की गई है और आदेश की प्रतीक्षा है।

ङ) निर्धारण वर्ष 2013–14 के लिए निर्धारण कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी ने वर्ष के दौरान ट्रस्ट के अवस्थापकों से समूह निधि के प्रति अंशदान राशियों के रूप में प्राप्त ₹ 42,77,50,000/– की अतिरिक्त राशि भी जोड़ी है, जिसे इस अधिनियम 1961 की धारा 2(24)(iiए) के अंतर्गत स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय माना गया है और ₹ 10,48,59,600/– की वापसी निर्धारित की गई जिसे निर्धारण वर्ष 2011–12 की मांग राशि के प्रति समायोजित किया गया है। इस अतिरिक्त दावे के खिलाफ ट्रस्ट ने सीआईटी (ए) में अपील दाखिल की है, जिसका निपटान लंबित है।

च) निर्धारण वर्ष 2014–15 के लिए निर्धारण कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी ने वर्ष के दौरान ट्रस्ट के अवस्थापकों से समूहनिधि के प्रति अंशदान राशियों के रूप में प्राप्त ₹ 93,73,75,000/– की अतिरिक्त राशि भी जोड़ी है, जिसे इस अधिनियम की धारा 2(24)(iiए) के अंतर्गत स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय माना गया है और ₹ 52,17,58,560/– की धनराशि की वापसी निर्धारित की गई है। इसके अलावा प्रबुद्ध निर्धारण अधिकारी ने विवरणी में दर्शाई गई हानि राशि ₹ 55,02,16,378/– के घाटे को शून्य माना है। उक्त आदेश के खिलाफ ट्रस्ट ने सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की थी, जिसने 27.12.2017 के आदेश के माध्यम से निर्धारिती ट्रस्ट को अपील करने की अनुमति दी थी, उसके बाद में सीआईटी (ए) के आदेश को लागू करने के लिए ए.ओ. द्वारा आदेश पारित किया गया जिसमें उन्होंने घाटे के दावे को आगे ले जाने की अनुमति नहीं दी। निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध ट्रस्ट ने सीआईटी (ए) के समक्ष अपील की है जो निपटान के लिए लंबित है। ट्रस्ट को 13.04.2018 की मांग डॉफ्ट के माध्यम से ₹ 1,22,87,44,100/– की राशि वापस मिली है। आयकर विभाग ने सीआईटी (ए) के आदेश के खिलाफ माननीय आईटीएटी के समक्ष अपील की है जिसे माननीय आईटीएटी ने अपने दिनांक 30.07.2019 के आदेश से खारिज कर दिया है।

छ) निर्धारण वर्ष 2015–16 के लिए निर्धारण कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी ने वर्ष के दौरान ट्रस्ट के अवस्थापकों से समूह निधि के प्रति अंशदानों के रूप में प्राप्त ₹ 93,73,75,000/– की अतिरिक्त राशि भी जोड़ी है, जिसे अधिनियम, 1961 की धारा 2(24) (iiए) के अंतर्गत स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय माना गया है। इसके अलावा प्रबुद्ध निर्धारण अधिकारी ने ₹ 179,15,20,936/– की रिटर्न हानि के अधीन रु.शून्य की रिटर्न आय माना है। उक्त आदेश के खिलाफ ट्रस्ट ने सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की है, जिसका निपटान लंबित है। निर्धारण अधिकारी ने ₹ 11,02,47,956/– के स्रोत पर कर कटौती को खाते में जमा नहीं किया है। दिनांक 15.01.2018 को इसे ठीक करने के लिए आवेदन दायर किया गया है जो निपटान के लिए लंबित है।

ज) निर्धारण वर्ष 2016–17 के लिए निर्धारण कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी ने वर्ष के दौरान ट्रस्ट के अवस्थापकों से समूह निधि के प्रति अंशदानों के रूप में प्राप्त ₹ 42,48,75,000/– की अतिरिक्त राशि भी जोड़ी है, जिसे अधिनियम, 1961 की धारा 2(24) (iiए) के अंतर्गत स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय माना गया है। इसके अलावा प्रबुद्ध निर्धारण अधिकारी ने धारा 11(1)(ए) के तहत 15% की कटौती की अनुमति प्रदान नहीं की है और ₹ 7,94,59,946/– की राशि के बजाय ₹ 50,43,34,946/– की राशि को विवरणी की आय के रूप में स्वीकर किया है। उक्त आदेश के विरुद्ध ट्रस्ट ने सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की है, जिसका निपटान लंबित है। ₹ 43,67,74,164/– के कुल रिफंड में से, ट्रस्ट को दिनांक 07.06.2018 के मांग ड्राफ्ट के माध्यम से ₹ 17,18,41,511/– (₹ 3,14,33,172/– के ब्याज सहित) की राशि वापस मिली है। इसके अलावा निर्धारण वर्ष 2011–12 की मांग के विरुद्ध ए.ओ. द्वारा ₹ 12,15,34,819/– समायोजित किया गया। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, ट्रस्ट को ₹ 20,36,78,121/– (₹ 2,88,47,115/– के ब्याज सहित) का बैलेंस रिफंड प्राप्त हुआ।

झ) निर्धारण वर्ष 2017–18 के लिए निर्धारण कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी ने वर्ष के दौरान ट्रस्ट के अवस्थापकों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से समूह निधि के प्रति अंशदानों के रूप में प्राप्त ₹ 4,44,41,750/– की अतिरिक्त राशि भी जोड़ी है, जिसे अधिनियम, 1961 की धारा 2(24) (iiए) के अंतर्गत स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय माना गया है और वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान को उसी को प्रतिबंधित करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किए गए ₹ 63,83,60,843/– के गारंटी दावों के प्रावधान में कटौती को रोक दिया। प्रबुद्ध निर्धारण अधिकारी ने ट्रस्ट द्वारा किए गए पुनर्मूल्यांकन के कारण खातों में वापस लिखी गई राशि ₹ 27,37,771/– के मूल्यह्रास को कम नहीं किया। प्रबुद्ध निर्धारण अधिकारी ने धारा 11(1)(ए) के तहत 15% की कटौती की अनुमति प्रदान नहीं की है। उक्त आदेश के विरुद्ध, ट्रस्ट ने सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की है, जिसका निपटान लंबित है। ट्रस्ट को वित्त वर्ष 2020–21 में ₹ 10,41,28,573/– (₹ 1,11,56,628/– ब्याज सहित) का रिफंड प्राप्त हुआ।

ञ. निर्धारण वर्ष 2018–19 की निर्धारण कार्यवाही करते समय निर्धारण अधिकारी ने बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किए गए ₹ 3,47,04,32,777/– के गारंटी दावों के प्रावधान को वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान तक सीमित करके कटौती की अनुमति नही दी है। आईडी एओ ने ₹ 9,92,75,616/– की धारा 11(1)(ए) के तहत 15ः की कटौती मंजूर नहीं की। उक्त आदेश के विरुद्ध ट्रस्ट द्वारा सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया जारी है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान ट्रस्ट को ₹ 53,70,21,544/– (₹ 4,88,20,140/– के ब्याज सहित) की रिफन्ड प्राप्त हुई है।

ट. निर्धारण वर्ष 2019–20 और निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए ट्रस्ट ने क्रमश ₹ 68,99,01,960/– और ₹ 82,99,98,551/– की वापसी का दावा करते हुए आय का रिटर्न दाखित किया है। इन वर्षों का मूल्यांकन लंबित है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, ट्रस्ट को आकलन वर्ष 2019–20 के लिए ₹ 71,74,98,041/– (₹ 2,75,11,273/– के ब्याज सहित) का रिफंड प्राप्त हुआ है।

6.2 अप्रत्यक्ष कराधान

क) केंद्रीय उत्पाद शुल्क खुफिया महानिदेशालय, चेन्नई ने दिनांक 14.10.2014 के कारण बताओ नोटिस के माध्यम से यह स्पष्टीकरण मांगा था कि वित्त वर्ष 2009–10 से 30.06.2012 तक की अवधि के दौरान उनके द्वारा प्राप्त गारंटी शुल्क और वार्षिक सेवा शुल्क पर वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(105) (जेडजेडजेडक्यू) के साथ पठित धारा 65(104सी) के तहत ''व्यापार या वाणिज्य हेतु सहायता सेवा'' के रूप में विचार क्यों नहीं किया जाना चाहिए और तदनुसार ₹ 79,68,11,936/– के सेवा कर की मांग नहीं की जानी चाहिए और उनसे वित्त अधिनियम की धारा 75 के तहत ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए और वित्त अधिनियम की धारा 76, 77 और 78 के तहत जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। उसी के प्रत्युत्तर में, ट्रस्ट ने 17.12.2014 को लिखित प्रस्तुति दी और 17.04.2015 और 06.12.2018 को जीएसटी और सीएक्स, भिवंडी के आयुक्त के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई में भाग लिया, जिन्होंने तदोपरांत लागू ब्याज और जुर्माने के साथ सेवा कर ₹ 79,68,11,936/– की मांग की पुष्टि करते हुए दिनांक 28.05.2019 को मूल रूप में आदेश के तहत एससीएन का निर्णय सुनाया। ट्रस्ट ने ₹ 5,97,60,896/– की पूर्व–जमा राशि का भुगतान करके दिनांक 29.10.2019 को उपरोक्त ओआईओ के विरुद्ध सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण, मुंबई के समक्ष अपील करने की तरजीह दी है, जिस पर अभी सुनवाई होनी बाकी है।

ख) सेवा कर अधिनियम, 1994 के नियम 5ए के तहत वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक की अवधि के लिए ट्रस्ट के रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा की गई। अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के आधार पर, सहायक आयुक्त, सेवा कर, मुंबई ने दिनांक 18.04.2016 को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए ट्रस्ट से निम्न कार्रवाइयां क्यों नहीं की जानी चाहिए, के बारे में पूछताछ की है–

1. मैसर्स सिडबी के साथ स्टाफ संबंधी साझेदारी की गतिविधि को ''व्यवसाय सहायता सेवा'' के तहत वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए और ब्याज और जुर्माना के साथ सेवा कर ₹ 52,156/– की मांग और वसूली नहीं की जानी चाहिए;

2. विकास आयुक्त से प्राप्त अग्रिमों के अप्रयुक्त भाग पर धारा 75 के अंतर्गत ब्याज सहित सेवा कर ₹ 1,74,760/– की मांग एवं वसूली नहीं की जानी चाहिए।

ट्रस्ट द्वारा दिनांक 23.08.2016 को इसका प्रत्युत्तर दाखिल किया गया। तत्पश्चात, उप सेवा कर आयुक्त ने पत्र दिनांक 24.03.2017 के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा कि क्या खंड ख) के उप–खंड 1) और 2) के तहत यहां उल्लिखित बिंदुओं के संबंध में, वही प्रथा 2015 के बाद भी जारी रही। इसके प्रत्युत्तर ट्रस्ट द्वारा दिनांक 18.04.2017 के पत्र के माध्यम से दाखिल किया गया। दिनांक 04.03.2021 को एससीएन की व्यक्तिगत सुनवाई में वेब–एक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से सहायक आयुक्त, सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (मंडल IV), मुंबई के समक्ष उपस्थित हुये थे। एससीएन का निपटारा करने के लिए अधिनिर्णय आदेश की प्रतीक्षा है।

ग) सीजीटीएमएसई को दिनांक 22.07.2016 को सेवा कर आयुक्त लेखापरीक्षा–II, मुंबई से कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमें दिनांक 30.06.2012 से पूर्व जारी डीएएन पर सेवा कर का भुगतान न करने के लिए सेवा कर राशि ₹ 1,78,47,373/– एवं उस पर लागू ब्याज एवं जुर्माने की मांग की गई थी, किंतु ऐसे डीएएन के संबंध में शुल्क दिनांक 01.07.2012 के बाद प्राप्त हुआ था। इसके प्रत्युत्तर में ट्रस्ट द्वारा दिनांक 23.08.2016 को लिखित निवेदन प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 24.03.2021 को संयुक्त आयुक्त, सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुंबई पूर्व आयुक्त द्वारा वेब. एक्स प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें भाग लिया गया। इसके अतिरिक्त, व्यक्तिगत सुनवाई के समय लिखित निवेदन भी प्रस्तुत किए गए। एससीएन का निपटारा करने के लिए अधिनिर्णय आदेश की प्रतीक्षा है।

घ) जुलाई 2012 से जून 2014 तक की अवधि हेतु ₹ 1,07,71,826/– की राशि हेतु जम्मू और कश्मीर में स्थित एमएलआई को प्रदत्त सेवाओं पर भुगतान किए गए सेवा कर की वापसी के दावे के संबंध में सहायक आयुक्त (रिफण्ड–II), सेवा कर, मुंबई के ओआईओ के विरुद्ध प्रथम अपील की तरजीह प्रस्तुत की गई, जिसका निपटान आयुक्त (अपील) सीजीएसटी द्वारा दिनांक 28.08.2018 की अपील में उनके आदेश के तहत न्यास के पक्ष में किया गया, जो धनवापसी के उनके दावे के समर्थन में न्यास द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रासंगिक दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात धनवापसी की अनुमति प्रदान करने के निर्देश के साथ मामले को मूल निर्णायक प्राधिकारी के पास वापस भेजने से संबंधित था। मूल प्राधिकारी से ट्रस्ट के धनवापसी दावे को संसाधित करने के लिए दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

ड) डीएएन के आधार पर अग्रिम रूप से भुगतान किए गए सेवा कर के संबंध में मार्च–जून, 2017 की अवधि के लिए ₹ 7,54,06,280/– की वापसी का दावा करने के लिए दिनांक 02.04.2018 को रिफंड आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके लिए अंततः कोई गारंटी सेवाएं प्रदान नहीं की गईं और जिसे देय सेवा कर के विरुद्ध समायोजित भी नहीं किया जा सकता था। इसे सहायक आयुक्त सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मण्डल–I, मुंबई द्वारा दिनांक 07.12.2018 को मूल आदेश के तहत निरस्त कर दिया गया। ट्रस्ट ने दिनांक 07.02.2019 को उपरोक्त ओआईओ के विरुद्ध माननीय सेवा कर आयुक्त (अपील)–II, मुंबई के समक्ष अपील प्रस्तुत की है। इसके अलावा, दिनांक 20.08.2020 के मार्फत आयुक्त (अपील–I) जीएसटी और सीएक्स, मुंबई द्वारा विस्तृत सत्यापन के अधीन परिणामी राहत के साथ अपील की अनुमति दी गई। प्राधिकरण से ट्रस्ट की धनवापसी दावे को संसाधित करने हेतु दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

7. ट्रस्ट ने ऋणों में चूक के कारण अनुमानित परिव्यय की बीमांकक मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त कर ली है। तद्नुसार, अपनी रिपोर्ट में बीमांकक द्वारा सुझाया गया अतिरिक्त प्रावधान यथा 31.03.2021 को ₹ 2,073.04 करोड़ है। ऐसे दावों के लिए प्रावधान का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ में राशि)

विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
1 अप्रैल को प्रारंभिक शेष राशि	38,47,38,05,854	29,36,51,93,247
घटाएँ: वर्ष के दौरान भुगतान किए गए दावे	7,03,30,14,707	10,01,36,87,393
जोड़े : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	20,73,04,00,000	19,12,23,00,000
31 मार्च को अंतिम शेष	52,17,11,91,147	38,47,38,05,854

8. जहां कहीं आवश्यक हुआ, विगत वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित, पुनः वर्गीकृत और पुनः व्यवस्थित किया गया है।

कृते जैन त्रिपाठी एंड कं.
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 103979डब्ल्यू

हस्ता./–
(डी.पी. त्रिपाठी)
साझेदार
सदस्यता सं. 013593

न्यासी मंडल की ओर सेसनदी लेखाकार

हस्ता./–
(सिवसुब्रमणियन रमण, आईए एंड एएस)
अध्यक्ष

हस्ता./–
(संदीप वर्मा)
सदस्य सचिव

स्थान: मुम्बई
दिनांक: 28 जुलाई, 2021

लघु उद्योग क्षेत्र के लिए

महात्मा गांधी का सपना

साकार करने की दिशा में अग्रसर

degree360solutions.com

सिडबी

सीजीटीएमएसई का पंजीकृत कार्यालय
स्वावलंबन भवन, सिडबी, 7वां तल, सी–11, जी ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051.
फोनः +91–22–67221553 टोल फ्री: 1800 222 659

www.cgtmse.in
@CGTMSEOfficial
@CGTMSEOfficial
CGTMSE Youtube Channel